माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निगरानी-6225/2018/मंदसौर/भू०रा० प्र0क0 /2018 निगरानी

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर मदंसौर,
द्वारा प्रभारी अधिकारी एवं एसडीओ(राजस्व)
मंदसौर ------------ निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01–ऑजना कन्स्ट्रक्शनस केसुंदा तहसील
व जिला चित्तोड़गढ द्वारा मुख्त्यारआम
रामलाल ऑजना पिता रतनलाल ऑजना
निवासी बसाड़ तह0 व जिला–प्रतापगढ
राजस्थान
02–परिसमापक अधिकारी, दि जीवाजीराव
शुगर कम्पनी लिमिटेड दलौदा,106,
सिल्वर संचोरा,8/2 रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग
प्रथम तल इंदौर ------------ अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भुराजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन, सम्भाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 1520/अपील/2016–17 ऑजना कन्ट्रंक्शन कम्पनी ग्रम केसुंदा जिला चित्तोड़गढ राजस्थान द्वारा मुख्त्यार आम रामलाल ऑजना नि0 बसाड़ जिला प्रतापगढ ,राजस्थान विरूद्ध परिसमापक अधिकारी दि जीवाजीराव शुगर मिल कम्पनी लिमिटेड दलौदा जिला मदंसौर व अन्य 2 में पारित आदेश दि0 9–10–18 के विरूद्ध

......0......

माननीय महोदय,

आवेदक प्रार्थी मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर मदंसौर, द्वारा प्रभारी अधिकारी एसडीओ(राजस्व) मंदसौर द्वारा यह निगरानी आवेदन निम्न आधारों पर व इसके अतिरिक्त आधारों पर अंदर अवधि निम्न प्रकार अनावेदकगणों के विरूद्ध प्रस्तुत कि जा रही हे–

प्रकरण के तथ्य

01– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनॉक 21–1–1945 को ग्वालियर स्टेट द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर मध्यप्रदेश द्वारा विपक्षी कमांक 2 जीवाजीराज शुगर कम्पनी लिमिटेड स्थित दलौदा जिला मंदसौर को ग्रम दलौदा , ग्रम

मुकेश जोनी, तहसीलदार 31-10-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-11-18 नियत। 31-10-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर (म.प्र.)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 6225/2018/मंदसौर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक म0प्र0 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 बाकलिया उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्क दोहराते हुए निगरानी ग्राह्य करने एवं अपर आयुक्त के आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया । जबाव में कैवियटकर्ता/अनावेदक क्रं0 1 अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उन्होंने आलोच्य भूमि नीलामी में क्रय की है और क्रय किये जाने के आधार पर डी0आर0टी0 द्वारा सेल सर्टिफिकेट जारी किया गया है । सेल सर्टीफिकेट के आधार पर नामांतरण न करने में विचारण न्यायालय ने त्रुटि की है । अनावेदक क्रं0 1 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय भी अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में है । इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 535/2012में पारित आदेश दिनांक 19-6-17 एवं रिट याचिका क्रमांक 8675/2011 में पारित आदेश दिनांक 2-4-18 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी अपील क्रमांक 25/2001 में पारित आदेश दिनांक 11-12-17 का हवाला दिया गया तथा यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने के कारण राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना का प्रकरण भी पेश किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक शासन द्वारा सिविल न्यायालय में व्यवहार वाद पेश किया गया है, सिविल वाद में भी आवेदक को स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के समस्त तथ्यों का विस्तार से उल्लिखित करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है और ना ही निगरानी ग्राह्य करने एवं स्थगन देने का कोई आधार है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि
	आदेश द्वितीय अपील में पारित किया है और संहिता में दिनांक 25-9-18 द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में निगरानी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है । अत: आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये । आवेदक के अधिवक्ता संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार किस प्रकार है, स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहे । आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, इस कारण इस न्यायालय में निगरानी प्रचलन योग्य है, भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा द्वितीय अपील में पारित आलोच्य आदेश अंतिम स्वरूप का आदेश है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि संहिता में हुए नवीन संशोधन जो 25-9-18 से प्रभावी हुआ है के प्रकाश में यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । अत: यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	